(uu/1535/nsh-mmn)

श्री जी.वेंकट स्वामी (पेडापल्ली) : सभापति जी, कंसट्रक्शन वर्कर्स का जो बिल आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आज हिन्दुस्तान में यह एक अनऑर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास है। उनकी किस्मत का फैसला ट्रेड यूनियन ने नहीं किया। यहां श्री जार्ज फर्नान्डीज बैठे हैं, मेरी भी 50 साल की उम्र ट्रेड यूनियन मूवमेंट में गुजरी है, आजाद हिंद सागर डैम का जब कंसट्रक्शन हो रहा था, मैं उसका प्रेजीडेंट था। मैं जानता हूं कि कितने हजार लोगों ने उस डैम को बनाते-बनाते अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज वह बड़ा डैम बनने से कई लाख एकड़ जमीन की काश्त हो रही है। जो आहुति कंसट्रक्शन वर्कर्स ने दी है, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिला। वे बनाकर चले गये लेकिन कुछ मुट्ठी भर कान्ट्रैक्टर्स ने करोड़ों रुपये का फायदा उठाया।

मैं इसलिए इसका स्वागत करता हूं कि कंसट्रक्शन वर्कर्स बहुत बदनसीब हैं। देश और दुनिया में, जब स्टोन एज आयी तब से ये वर्कर्स पैदा हुए। आप जानते हैं कि आदमी को खाना-कपड़ा और मकान चाहिए लेकिन बदकिस्मती से हमने खाना खिलाने वाले एग्रीकल्चर वर्किंग क्लास के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जो वीवर हमको कपड़ा देता है, उसके लिए भी हमने कुछ नहीं किया। जिस पार्लियामेंट में बैठकर हम यह बिल मूव कर रहे हैं, उसको बनाने वाले भी कंसट्रक्शन वर्कर्स ही हैं। इस देश के बड़े-बड़े डैम्स को बनाने वाला, इस देश के स्वरूप को सुधारने वाला वर्कर आज इस देश में बदतर जिंदगी गुजार रहा है।

हमको ट्रेड यूनियन में काम करते हुए खुद ही शर्म आती है। श्री जार्ज फर्नान्डीज, मिश्रा जी और कई ट्रेड यूनियन लीडर यहां बैठे हुए हैं। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, बिफोर इंडीपैंडेंस और आफ्टर इंडीपैंडेंस हमने ऑर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास के लिए अपना खून दिया लेकिन 75 प्रतिशत अनऑर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास के लिए कुछ नहीं किया। यह हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट का मजाक है।

1972 में जब मैं डिप्टी मिनिस्टर बना, उस वक्त इंदिरा जी से मैंने बातचीत की थी। आज देश की अनऑर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास के लिए हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाकर उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। आज इंडस्ट्रियल ऑर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास काम पर जाता है तो संडे से उसका कार्य शुरू होता है। वह कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव आदि सब हासिल करता है। साल शुरू होते ही उसकी बोनस की डिमांड शुरू हो जाती है। साल बाद ही उसकी इनक्रीज ऑफ वेजेस की डिमांड शुरू हो जाती है। वह

ई.एस.आई. मे कवर होता है, प्रोविडेंट फंड मे कवर होता है। जब वह रिटायर होकर जाता है तो ग्रेचुटी साथ लेकर जाता है।

मैं इस हाउस के सामने मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब मैं लेबर मंत्री था तो मैंने खुद इस बिल को इंट्रोड्यूड किया था। यहां यह बिल पैंडिंग था। दो-ढाई साल तक हमारे माननीय सदस्य सुनते रहे लेकिन इस बिल को लाने की कोशिश नहीं की गयी। मैंने कहा कि इसको ऑर्डिनेंस के जरिये लाना चाहिए। मैंने ऑर्डिनेंस के लिए कोशिश की तब ऑर्डिनेंस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। मैं उस जमाने में भी यही समझता था कि मैं लेबर मंत्री रहूं ताकि हमारे माननीय सदस्य जो खामियां बता रहे थे, उनको ऑफिशियली एक्सैप्ट कर सकूं। इस अमेंडमेंट मे जो खामियां हैं, ऑफिशियल अमेंडमेंट लाकर उसको कबूल करवाऊं। लेकिन बदकिस्मती से मैं इधर और श्री अरूणाचलम जी उधर हैं, वे लेबर मंत्री हैं और मैं एम.पी. हूं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आज दिल्ली की सड़को पर जाकर कंसट्रक्शन वर्कर्स की हालत देखें। वे बिलो पावर्टी लाइन मे रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज बिलो पावर्टी लाइन के लोगों का वेजेस 1100 रुपये है। हम कब तक उनको इस तरह से जिंदगी गुजारते देखेंगे। हम क्या कानून बना रहे हैं? इसमें बहुत सारी खामियां हैं जैसे माननीय सदस्यों ने बताया। मैं लेबर मंत्री श्री अरूणाचलम जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल मे जो खामियां हैं, उन्हें दूर करें। वे लोग तब तक तड़पते रहेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इस कंसट्रक्शन बिल के बाद एग्रीकल्चर वर्किंग क्लास, जो करोड़ों की तादाद मे है, का बिल लाने की जरूरत है। इस देश के अंदर आज 75 प्रतिशत पॉपुलेशन अनऑर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास की है। हमें सोचना चाहिए कि वे कब तक आधी रोटी खाकर, पेट मे आग और भूख लेकर तड़पते हुए जिंदगी गुजारेंगे। हम देश को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं।

(ww/1540/mkg)

'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा', उस हिन्दुस्तान को बनाने वाले के चेहरे को देखो और उसके बाद हमारे इस एक्ट के अन्दर सारी चीजों को देखो । उसके चेहरे पर कम से कम चमक आ जाय, उतना वेज उसको मिले ताकि काम करने के लिए उसकी इच्छा और भी बढ़े । आज रिस्क एलाउंस रखा है ? जैसा ऑनरेबल मैम्बर ने बताया कि आज हम 20 नहीं, बल्कि 40 मंजिल तक पहुंच गये है । वहां जाकर देखने से भी आपकी क्या हालत होती है, ऑनरेबल मैम्बर भी एक बार वहां जाकर देखें, वहां वह काम करता है । प्रीकाशंस के लिए आपने एक्ट के अन्दर क्या रखा है ? उसके लिए ग्रुप इंश्योरेंस करना चाहिए । ग्रुप इंश्योरेंस के साथ-साथ इंडीविजुअल डैथ हो जाय तो आटोमैटिक ही उसमे कवर

होना चाहिए और रिस्क लेकर बड़ी इमारत को तैयार करने वाले वर्कर को इन सारी चीजों का प्रिवलेज मिलना चाहिए ।

मैं इसलिए जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस यूनियन को 40 साल पहले से अन्दर से जानता हूं कि कितनी तकलीफ में वे काम करते हैं और कितनी मुश्किल से काम करते हैं । पत्थर को तोड़ने में, पत्थर को ब्लास्ट करने में कई लोगों की जान चली जाती है । काम करते हुए कई लोगों की आंख चली गई, कई लोगों के हाथ टूट गये, लेकिन इस एक्ट के अन्दर कोई उनके लिए सहारा नहीं है, कानून के अनुसार कोई सहारा नहीं है। यह सब लोग मर-मर कर इमारतें तैयार करते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन अनआर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास के लिए आपने बिल पेश किया है, मैं ऑनरेबिल लेबर मिनिस्टर से एक ही ख्वाहिश करूंगा कि इस बिल के अन्दर आफिशियल एमेंडमेंट मूव करें ।

इसके अन्दर खामियां हैं, एक-एक खामी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । आज आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जिस तरह से प्रिवलेज हैं, वे इनको भी दिये जाएं ।

सैस के बारे में ऑनरेबिल मैम्बर बोल रहे थे कि यह कंजूसी क्यों, एक परसेंट की कंजूसी क्यों, इसको आप दो परसेंट करें । मैं यह भी ऑनरेबिल मैम्बर्स को बताना चाहता हूं, जो हमारे आफिशियल्स ने बताया कि साहब यह 20 साल से चल रहा है, आप अगर इन सारी चीजों को रखेंगे तो सारी मिनिस्ट्री को सर्कुलेट करना पड़ेगा, रेल्वे को करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को करना पड़ेगा, फाइनेंस को करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा, इसमें 20 साल हो जाएंगे । यह सब होगा तो फिर बीस साल लगेंगे, इसलिए आप आफिशियली बिल इंट्रोड्यूस करिए और जो भी एमेंडमेंट ठीक समझते हैं, आप उनको आफिशियली मूव करके पास करा लेना। ठीक है, समझकर किया है, वही मैं ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर से ख्वाहिश करूंगा कि इसके ऊपर तीन-चार लेबर लीडर्स से चर्चा रखें । आज तो यह पास नहीं होगा, किसी भी तरह से आज हमारे पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कंसल्ट कीजिए और इस बिल के अन्दर कम से कम वह चेंजिज लाइए ।

देश आजाद होने के 50 साल बाद, दुनिया पैदा होने के बाद आज वर्किंग क्लास की किस्मत खुल रही है । इंसान जब पैदा हुआ तो पहला इंडस्ट्रियल वर्कर यही कंस्ट्रक्सन वर्कर था । जब से दुनिया पैदा हुई, तब से इंसानियत के सहारे के लिए मकान बनाने के लिए यह वर्कर सब में पीछे है । केवल 100-150 साल पहले आगे हुए, इंडस्ट्रियल वर्कर की किस्मत आर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास के अन्दर आए, मैं इसको शफे अव्वल पर रखने के लिए आपसे ख्वाहिश करता हूं ।

इसमें भूख और प्यास तड़प रही है, इसमें दरिद्री और मुफलिसी तड़प रही है, इसको हमें निकालना है । तभी हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्लास, जो बहुत बुरी तरह से आज भी जिंदगी गुजार रही है, उस कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेज ज्यादा करना चाहिए । इनके लिए फौरी तौर पर ऑल इंडिया वेज बोर्ड बनना चाहिए । कंस्ट्रक्शन वर्कर 40 माले पर जाकर काम करता है और उसका वेज क्या होता है ? आज सौ रुपये से ज्यादा उसका वेज नहीं है । जो मिस्त्री है, जो कारीगर है, उसका वेज सौ रुपये से ज्यादा नहीं है । उसका ऑल इंडिया बेसिस पर वेज फिक्स होना चाहिए । इसके लिए एक वेज बोर्ड फौरन कायम होना चाहिए, ताकि सारे हिन्दुस्तान में स्टेट लेवल में, सेण्ट्रल लेवल में और प्रोविंस लेवल में इसका सही मानों में वेज फिक्स हो सके । आज वेज फिक्सेशन की बहुत जरूरत है । जैसे ही बिल पास हो, वेज बोर्ड बनाने की सख्त जरूरत है ।

(xx/1545/jr)

सभापति जी, मैं एक और कंक्रीट सुझाव देना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट लागू होने जा रहा है, उसमे असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह हो सकता है, हम इसमें सुझाव देने को तैयार है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आज तो पांच करोड़ रुपये तक के मकान बन रहे है, इसमें कोई शक नही है। मै कहना चाहता हूं कि जहां एक करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसमें काम करने वालो को इसके तहत लेना चाहिए। आज मजदूरो का खून चूसने वाले मुट्ठी भर ठेकेदार होते हैं। उनका समर्थन करने वाले इंस्पेक्टर होते है। एक्शन भी इंस्पेक्टर ही लेता है। आप हिन्दुस्तान के हर राज्य मे देख ले कि इन इंस्पेक्टर्स के हरेक राज्य मे घर है। इस प्रकार से इस क्षेत्र मे इंस्पेक्टर्स का बोलबाला है। मैं जब लेबर मिनिस्टरी मे डिप्टी मिनिस्टर था तो हमारे यहां एफ.सी.आई. के इंस्पेक्टर्स ने नोटिस दिया कि हम हड़ताल पर जाएंगे। मैंने मीटिंग बुलाने को कहा, तो चेयरमैन ने कहा कि आप किनकी मीटिंग बुला रहे है, ये लोग तो किसानो के पास जाते है और किसान इनके पीछे-पीछे घूमते है। जो इनको ज्यादा पैसा देता है उसीका माल लेते है। इनके तो हर राज्य मे मकान है और आप ऐसे लोगो की मदद करना चाहते है। यह बात मुझे 1973 मे बताई गई। आई.ए.एस. अधिकारी खाते है, इंस्पेक्टर्स खाते है, इन सबकी जांच होनी चाहिए। कोई मंत्रालय ऐसा नही है जहां इनका बोलबाला न हो। अगर इसको भी इंस्पेक्टर्स के हवाले कर देंगे तो एक तरफ मजदूरो का खून ठेकेदार चूस रहे है, तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चूसने

लगेगा। मेरा सुझाव है कि आप केन्द्र स्तर पर और राज्य स्तर पर बोर्ड बना रहे हैं, उसमें जांच के लिए राजपत्रित अधिकारी को रखें, ताकि वे इन पर निगाह रख सकें।

माननीय सदस्यों का सुझाव था कि इस बिल में बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत है, यह सही बात है। यह बिल बहुत सालों के बाद और बहुत इंतजार के बाद दिल खोलकर हम लाए हैं। मैं चाहता हूं कि इसको उसी तरह लिया जाए जिस तरह से इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट में सारी चीजें कवर हैं, इसमें भी होनी चाहिए। जो पूरे साल काम करे उसको आप बोनस दें, प्रोविडेंट फंड दें और पेंशन भी मिलनी चाहिए। अगर एक साल कोई काम करे तो उसको पेंशन के लिए पात्र माना जाना चाहिए। इन बातों को भी इसमें लागू किया जाना चाहिए। इसमे मेनेजमेंट का भी योगदान मिलेगा।

सैस के बारे में भी मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैं जब टैक्सटाइल मिनिस्टरी में मंत्री था तो 60 प्रतिशत कटता था। उनके वेलफेयर के लिए पैसे मांग की और 45 करोड़ रुपये दिये गए। जब केन्द्र में जनता दल की सरकार थी तो उसने कृषि मजदूरों और मिलों मे काम करने वाले बुनकरों के ऋण माफ किए थे। शहरों के लिए 45 करोड़ रुपया था।

(yy/1550/asa/krr)

मैंने फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी से पूछा था कि यह 300 करोड़ रुपया गरीबों के लिए लिया गया है, उसने आपने सिर्फ टैक्सटाइल के लिए 45 करोड़ रुपए ही दिया है। आप और क्यो नहीं देते? वह तो ट्रेजरी मे गया। आपने सही बताया है। मैं अपना सुझाव मंत्री जी को देना चाहूंगा कि इसको ट्रेजरी मे डालने का मतलब यह है कि वह कंसेशन के नसीब में फिर वापस नहीं आएगा। इसको कवर कीजिए। इसको प्रोविडेंट फंड या ई.एस.आई.स्कीम में शामिल कीजिए ताकि उनके पास जो हजारों करोड़ रुपए हैं, वे सेफ रहें और उसी से इसका आपरेशन हो। वर्किंग क्लॉस के लिए गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है? आप कांट्रेक्टर्स से एक प्रतिशत ले रहे है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्योंकि गरीब तड़प रहे है। वर्किंग क्लॉस बहुत मुसीबत मे है और दूसरी तरफ अगर किसी दिन कांट्रेक्टर ने गुस्से में आकर किसी मजदूर को निकाल दिया तो इस बिल में यह भी होना चाहिए कि अगर किसी को कंस्ट्रक्शन कम्पलीट होने के बाद निकालता है तो कम से कम तीन महीने का रिट्रैंचमेंट कम्पनसेशन का प्रावधान इसके अन्दर होना चाहिए। अगर रिट्रैंचमेंट कम्पनसेशन का इसमें [illegible]

शुरु हो जाएगा। वह किस तरह से जिएगा? इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि रिट्रैचमेंट का कानून आपके पास मौजूद है तो इसको लागू करे ताकि कांट्रेक्टर ने अगर निकाल भी दिया तो उसको तीन महीने का रिट्रैंचमेंट कम्पनसेशन मिल जाए।

तीसरी बात, अगर बिल्डिंग या प्रोजेक्ट कम्पलीट हो जाता है तो स्कीम में ग्रेचुएटी का प्रावधान भी नही है। वर्कर्स ने क्या किया है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स ही सब कुछ हैं, क्या वर्किंग क्लास कुछ नही है? क्यों नही लाते है? लाओ तो ऐसे कानून को दिल खोलकर लाओ वर्ना मत लाओ। हम जो सजेशन्स दे रहे है, मै चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। अगर वास्तव में हम कंसक्ट्रशन वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें इसमें कवर होनी बहुत जरूरी है। प्रोविडेंट फंड कवर होना चाहिए और पेंशन स्कीम भी कवर होनी चाहिए और साल होते ही बोनस मिलने का प्रावधान भी उसमे शामिल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सही मायनों में इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए। वेलफेयर स्कीम में जहां कहीं भी मकान बनाने का प्रोजेक्ट होता है, यह हमने इस बिल में रखा है, यह बहुत जरूरी है। ऐसी चीजों का मै स्वागत करता हूं लेकिन बुनियादी तौर से इकोनोमिकली किस तरह से मदद कर रहे हैं, यह इस बिल में नही है। ये सारी चीजें अगर कवर हो जाएं ताकि वर्कर्स को श्वास लेने का मौका मिले।

मैं विदेश गया था। मैंने 1958 में आई.एल.ओ. में स्पीच दी थी कि ऑल ओवर दि वर्ल्ड अनऑरगेनाइज्ड वर्किंग क्लॉस के लिए स्टैप्स लेने चाहिए और बदकिस्मती से 1973 से इस काम को शुरु किया है। उस समय मै डिप्टी लेबर मिनिस्टर था, आज यह बिल बदशक्ल होकर आया है, इसको पास मत करें। हिन्दुस्तान के स्वरूप को बनाने वाले इस वर्किंग क्लॉस की सूरत को अगर खुशहाल बनाना है तो इस बिल के अन्दर वे सारी चीजें रखिए जो कि मेहनत करके जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनकी सूरत में थोड़ी सी चमक आ जाए।

(zz/1555/asa/san)

हमारी पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बिल लाया गया है परन्तु उसके इम्पलीमेंटेशन का सवाल है। इम्पलीमेंटेशन के बारे मे आपने सेन्टर और स्टेट्स मे कुछ बोर्ड्स बनाए थे। उन बोर्ड्स का राजनीतिकरण मत कीजिए, विशेषज्ञों को रखिए, जानने वालों को रखिए। जो मजदूर पचासों फीट के अन्दर फाउन्डेशन खोदते है और कई मजदूर ऐसे हैं जो खोदते-खोदते उसी मे दफन हो जाते है, खोदने के बाद कई लाशें निकलती है, इनके लिए हमने क्या किया है? ये सब प्रैक्टिकल बातें मै आपके सामने रख रहा हूं। जिस

यूनियन को मैंने लीड किया था जहां तीन लाख मजदूर काम करते थे, कैनाल्स में कई लाख मजदूर काम करते थे, उन सबके पर्सनल एक्सपीरिएंस की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए मंत्री जी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो बिल है, इसको सलेक्ट कमेटी के पास भेजिए। मैं जार्ज फर्नांडीज जी से माफी चाहता हूं कि यदि इस बिल मे देरी करनी है तो इसको सलेक्ट कमेटी में भेजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अभी बिल पास होने से पहले कुछ लोगों की कमेटी बुलाइये।

श्री जी.वेंकट स्वामी (पेद्दापल्ली) : अभी इस बिल के पास होने से पहले कुछ सांसदो से चर्चा की जानी चाहिए कि इस बिल के अन्दर हम उनको क्या-क्या राहत दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। अब तो समय हो गया है। इसके ऊपर अभी चर्चा और चलेगी। उस बीच मे ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग रखिए और हम लोग जो सजेशन्स दे रहे है, इनको इसमें शामिल कीजिए।

मैं अन्त में मंत्री जी से सिफारिश करता हूं कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि देश के अन्दर वर्किंग क्लॉस बहुत ज्यादा है, अनऑरगेनाइज्ड वर्किंग क्लॉस देश की पोपुलेशन मे 75 प्रतिशत है। एक रास्ता यहां से शुरु हुआ है, दूसरा रास्ता यह है कि मैंने एग्रीकल्चर बिल भी तैयार करवाया था। यह बिल भी मंत्री जी लायेंगे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। करोड़ो व्यक्तियों की है। यदि एग्रीकल्चर वर्कर्स तथा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हम बिल को लाएंगे तो मै समझता हूं कि देश के स्वरूप को बनाने वाले हम साबित होंगे। इस पार्लियामेंट को भी जिन्होंने बनाया है, उनकी आवाज भी ... (व्यवधान)

प्रो.रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह पार्लियामेंट का भवन और राष्ट्रपति का भवन जयपुर के कारीगरो द्वारा बनाया गया है। इनका भी अभिनन्दन कीजिए।

श्री जी.वेंकट स्वामी : अभी हमारे जार्ज फर्नांडीज साहब को मालूम है कि बम्बई बना है तो हैदराबाद के वर्किंग क्लॉस ने ही बनाया है। मैं हिन्दुस्तान के सारे कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्लॉस के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : पार्लियामेंट को भी राजस्थान के कारीगरो द्वारा बनाया गया है और हमें मालूम है कि कहां पर ईंट लगी हुई है और कहां पर पत्थर लगा हुआ है... (व्यवधान)

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं राजस्थान के वर्कर्स की बात को उस तरह से लेता हूं कि जो उन्होंने पार्लियामेंट कवर किया है, आज सारे देश मे ही नही पूरी दुनिया के अन्दर वह पोपुलर है। वे वाकई तारीफ करने के काबिल हैं। आज हमारे सामने बहुत ही दर्दनाक बिल है। इसे पार्लियामेंट सैशन मे पास मत कीजिए और क्यों नहीं पार्लियामेंट सैशन में इसी बिल के साथ ही साथ एग्रीकल्चर वर्किंग क्लॉस के बिल को भी लाया जाए। आज देश के अन्दर असंगठित वर्किंग क्लॉस की जो तड़प है, उसको सांसद राहत देने के लिए आएंगे।

इन्ही शब्दो के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आठ दिन के अन्दर जो भी सजेशन्स सांसदो की तरफ से दिए गए हैं, इन सजेशन्स के साथ इस बिल को पास करेंगे।

(ends)

MR. CHAIRMAN (SHRI P.M. SAYEED): The debate will continue tomorrow.

1559 hours

<u>The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.</u>